

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्री विनोद कुमार (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या / 184 / 2009

दायर दिनांक 03.06.2009

हरलाल पिता उदा	उनवान	तहसीलदार
	बनाम	

वाद अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांक: 14.11.2019

—:निर्णय:—

पतरावली पेश हुई जिसमें वकिल वादी प्रस्तुत होकर प्रकरण में नोट प्रैस अंकित कर कार्यवाही नहीं चाहता है प्रकरण ड्राप किया जाता है अत -पतरावली फैसल होकर नम्बर से कम है

